तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **रामेश्वरी देवी व अन्य बनाम पूरणमल** **दीवानी वाद संख्या 30/2021** **सी.आई.एस. संख्या 09/2018**	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.01.2024	वकुलाय उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 (ए) साक्ष्य अधिनियम का निस्तारण किया जा रहा है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी का कथन है कि प्रतिवादी के पिता व वादी संख्या 1 के ससुर स्व. राजूलाल के द्वारा उनकी निजी आय से आवास स्थल क्रय किया गया था। उसमें छोअू कुमार से अपने नाबालिग पुत्र प्रतिवादी पूरणमल व वादीया रामेश्वरी के पति स्व. बाबूलाल के नाम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.1971 को क्रय किया गया। उक्त आवास वादीया रामेश्वरी के ससुर व प्रतिवादी के पिता स्व. श्री राजूलाल के द्वारा अपने पुत्र प्रतिवादी पूरणमल के हक व हिस्से में रखी तथा एक आवासीय भूखण्ड 625 वर्गगज का महावीर कॉलोनी में वार्ड नं. 45 सावत्सर में वादीया के ससुर व प्रतिवादी के पिता स्व. राजूलाल के द्वारा क्रय करते हुये दो भागों में 1/2–1/2 विभाजित किया गया तथा गांधीनगर मदनगंज में 200 वर्गगज का एक आवासीय भुखण्ड क्रय कर तथा उसमें आवास गृह का निर्माण करवाकर अपने बडे पुत्र रामचन्द्र के हक व हिस्से में रखा तथा राजूलाल ने अपने चारों पुत्र क्रमशः रामचन्द्र, सुखदेव, वादीया के पति स्व. बाबूलाल व प्रतिवादी पूरणमल को क्त सभी जायदाद अपनी निजी आय से क्रय कर और उनमें आवास गृह का निर्माण कर पारिवारिक बंटवारा कर सम्भलाया था। उक्त पारिवारिक बंटवारा नोटेरी पब्लिक श्री रामलाल प्रजापति से अधिप्रमाणित करवाकर दिनांक 29.08.2013 को निष्पादित किया गया और उक्त सभी मूल सहमति पत्र वादीया रामेश्वरी देवी को संभला दिया एवं सुखदेव उर्फ सुखराम व प्रतिवादी पूरणमल के पास उक्त सभी सहमति पत्र की फोटो प्रतियां रखी गई। इस प्रकार उक्त सभी मूल सहमति पत्र वादीया रामेश्वरी देवी के कब्जे व अधिकार में है। जिन्हें तलब किये जाने बाबत धारा 66 साक्ष्य अधिनियम का नोटिस भी प्रतिवादी ने वादीया को दिनांक 13.02.23 को दिया गया परन्तु वादीया ने उक्त सूचना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक बंटवारे के सहमति पत्रों दिनांक 29.08.13 की फोटो प्रतियां को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–	

	1. 2020 SAR (Civ) 839 Ravinder Kaur Grewal & Ors vs Manjit Kaur & Ors 2. WLC (Raj.) Malkit Singh vs The Spl. court N.D.P.S. Sri Ganga Nagar & Ors इसके खण्डन में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि वादाधीन सम्पत्ति वादीगण के पति/पिता स्व. बाबूलाल व प्रतिवादी पूरणमल की खरीदशुदा शामलाती सम्पत्ति है जिस पर स्वयं की कमाई से दोनों ने मकान निर्माण करवाया था। उक्त वर्णित सम्पत्ति में वादीगण के ससुर/दादा स्व. रा. जूलाल का कोई हक व हिस्से नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति उनकी स्वयं की अलग–अलग खरीदशुदा सम्पत्ति है। जिसमें राजूलाल के द्वारा न तो कोई रकम दी गई ना ही कोई योगदान दिया गया। इस प्रकार जब उपरोक्त सम्पत्ति शामलाती सम्पत्ति ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में पारिवा. रिक बंटवारे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और ना ही वादीया सं. 1 ने कोई सहमति पत्र दिनांक 29.08.13 को निष्पादित किया गया। उक्त सहमति पत्र फर्जी है एवं कूटरचित है। प्रतिवादी के द्वारा फर्जी सहमति पत्र बनाये गये है क्योंकि वादीया सं. 1 के नाम से बनाया गया सहमति पत्र पर वादीया सं. 1 के हो रहे फर्जी हस्ताक्षरों की जांच नहीं हो इस कारण कथित असल सहमति पत्र दिनांक 29.08.13 को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर वादीया सं. 1 के पास होना बताया है। जबकि दिनांक 29.08.13 का कथित सहमति पत्र वादीया सं. 1 के कब्जे में व शक्ति में गलत रूप से होना बताया है। उक्त सहमति पत्र बाबत वादीया ने जवाबुल जवाब पेश कर निष्पादन से इंकार किया है। जिसे न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर भी लिया जा चुका है। उसके बावजूद भी प्रतिवादी के द्वारा वादीया सं. 1 को धार 66 साक्ष्य अधिनियम का नोटिस भेजा गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा बताया गया सहमति पत्र फर्जी है और फर्जी दस्तावेज बनाकर न्यायालय में उक्त दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की है। जिसका साक्ष्य में कोई मूल्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। वादीगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2023 (2) CJ (Civ) (Raj) 1100 Daulat Ram vs Baiju Batham पेश किये। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत मामले में वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध वाद बाबत शामलाती रहवासी मकानों के बंटवारे हेतु प्रस्तुत किया है। वादीगण के पति/पिता स्व. बाबूलाल व प्रतिवादी पूरणमल दोनों सगे भाई है और स्व. बाबूलाल व प्रतिवादी के द्वारा संयुक्त रूप	

	से एक प्लॉट जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.02.71 से छोटू पुत्र लाल. चंद से खरीद किया जाना बताया और उक्त प्लॉट पर स्व. बाबूलाल व प्रतिवादी पूरणमल के द्वारा संयुक्त रूप से स्वअर्जित आय से भवन निर्माण करवाना बताया है तथा उक्त रहवासी मकान में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा होना बताया है। जबकि प्रतिवादी द्वारा इन अभिवचनों से इंकार करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त अचल सम्पत्ति प्रतिवादी के पिता स्व. राजूलाल ने अपने जीवनकाल में स्वअर्जित आय से खरीदकर आवासीय मकान का निर्माण करवाया था और उक्त सम्पत्ति को पारिवारिक बंटवारे में अपने पुत्र पूरणमल के हक व हिस्से में दिया था। इस प्रकार उक्त आवासीय मकान पर पूरणमल एकमात्र मालिक व स्वामी है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में यह भी उल्लेखित किया है कि स्व. राजूलाल के द्वारा अपनी नौकरी की आय से वादपत्र में वर्णित जायदादों को अलग–अलग हिस्से अनुसार विभाजन करके अपने चारों पुत्रों में न्यस्त कर दिया था। जिसके बाबत पारिवारिक बंटवारा समझौता पत्र बाबत सहमति पत्र भी दिनांक 29.08.2013 को निष्पादित किये गये तथा वादीगण ने भी उक्त सहमति पत्र दिनांकित 29.08.13 को निष्पादित व हस्ताक्षरित करते हुये वादाधीन सम्पत्ति में अपने हक का त्याग कर दिया। जबकि वादीगण द्वारा दिनांक 29.08.13 के बंटवारा/समझौता पत्र के निष्पादन से इंकार किया है। प्रतिवादी द्वारा उक्त सहमति पत्रों की फोटोप्रति न्यायालय में प्रस्तुत की है एवं वादीया द्वारा उक्त सहमति पत्र के निष्पादन से इंकार किया गया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत वाद वर्तमान में साक्ष्य वादी में नियत है तथा वादीगण व प्रतिवादी के मध्य उक्त सहमति पत्र निष्पादित हुये अथवा नहीं यह उभय पक्षों की साक्ष्य आने के पश्चात ही विनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि किसी भी दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना व उसका साबित किया जाना दोनों पृथक–पृथक बाते है। जहां तक उक्त दस्तावेज के फोटो प्रति होने का प्रश्न है तो प्रतिवादीगण ने उक्त दस्तावेजों का वादीया के कब्जे व शक्ति में होना बताया है जबकि वादीया द्वारा इस तथ्य से इंकार किया है तथा उक्त सहमति पत्र दिनांक 29.08.13 को फर्जी व कूटरचित होना बताया है परन्तु उक्त दस्तावेज के फर्जी व कूटरचित होने बाबत इस स्तर पर विनिश्चित नहीं किया जा सकता यह बिन्दु भी उभय पक्षों की साक्ष्य आने के पश्चात ही विनिश्चित किया जा सकता है। धारा 65 साक्ष्य अधिनियम में अवस्थाएं जिनमें दस्तवेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा – किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य	

	निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा–(क) जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्यधीन है– जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है, अथवाजो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है,और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है,?(ख) जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है, (ग) जबकि मूल नष्ट हो गया है, या खो गया, अथवा जबकि उसकी अन्तर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिवम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता (घ) जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानही से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता, (ङ) जबकि मूल धारा 74 के अर्थ के अन्तर्गत एक लोक–दस्तावेज है, (च) जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है, (छ) जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है सम्पूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। अवस्थाओं (क), (ग) और (घ) में दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। अवस्था (ख) में वह लिखित स्वीकृति ग्राह्य है अवस्था (ड) या (च) में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है, किन्तु ऐसे किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। अवस्था (छ) में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उनकी परीक्षा की है और जा ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त फोटो प्रति दस्तावेज को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 05.03.2024 को पेश हो।	